

प्रेषक,

महेन्द्र कुमार
सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग-1

लखनऊ, दिनांक 16 जनवरी, 2019

विषय : ग्राम प्रधानों/उप प्रधानों के विरुद्ध अभियोजन स्वीकृति विषयक।
महोदय,

शासन के संज्ञान में आया है कि प्रदेश में ग्राम पंचायतों की सतर्कता विभाग/भ्रष्टाचार निवारण संगठन द्वारा जाँच करने तथा जाँचोपरान्त ग्राम प्रधानों के दोषी पाए जाने के उपरान्त न्यायालय में अभियोजन चलाने हेतु अभियोजन स्वीकृति किए जाने पर निर्णय नहीं हो पा रहा है। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि पंचायतीराज अनुभाग-1 की अधिसूचना संख्या-1684/33-1-1997- 123/97 दिनांक 30.4.1997 में यह व्यवस्था दी गई है कि:-“उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904, (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-1, (सन् 1904) की धारा-21 के साथ पठित संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या-26, सन् 1947) की धारा-96 (क) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके और सरकारी अधिसूचना संख्या-4193 के/33-664, दिनांक 27 जुलाई, 1966 का अतिक्रमण करके राज्यपाल उक्त अधिनियम संख्या-25, सन् 1947 की धारा-95 की उपधारा-1 खण्ड-छ के अधीन राज्य सरकार की सभी शक्तियां, उत्तर प्रदेश में समस्त जिला मजिस्ट्रेटों को उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर प्रत्यायोजित करते हैं।”

2- उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-3244/33-1-2013-3244/13 दिनांक 28.02.2014 में ग्राम प्रधान के विरुद्ध उ०प्र० पंचायत राज (प्रधानों, उप प्रधानों और सदस्यों को हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 के क्रम में शासन स्तर से स्थिति स्पष्ट की गई है। उक्त शासनादेश में ग्राम प्रधानों के विरुद्ध कार्यवाही हेतु निम्नवत् दिशा-निर्देश दिये गये हैं :-

1. किसी प्रधान के विरुद्ध शिकायत करने वाला कोई व्यक्ति अपनी शिकायत सरकार या जिला मजिस्ट्रेट को भेज सकता है, किन्तु प्रत्येक शिकायत के साथ उसके समर्थन में शिकायतकर्ता को अपना शपथ-पत्र और उन सभी व्यक्तियों, जिनसे वह अभियोग से

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संबंधित तथ्यों की सूचना प्राप्त करने का दावा करता है, के नोटरी के समक्ष सत्यापित शपथ-पत्र और साथ में अभियोग से संबंधित दस्तावेज, जो उसके कब्जे में अथवा शक्ति में हों, संलग्न करने होंगे।

2. जिला मजिस्ट्रेट ऐसी किसी शिकायत की प्राप्ति पर यह पता लगाने की दृष्टि से कि क्या उस विषय में औपचारिक जांच के लिए प्रथम दृष्टया कोई मामला है, जिला पंचायत राज अधिकारी को अथवा अन्य किसी जिला स्तरीय अधिकारी को प्रारम्भिक जांच करने के लिए आदेश दे सकता है, जो अधिकतम तीस दिन में प्रारम्भिक जांच पूर्ण कर अपनी रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को देगा।
3. प्रारम्भिक जांच के आधार पर या अन्यथा जहां राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि धारा 95 की उपधारा(1) के खण्ड(छ) के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अधीन किसी प्रधान या उप प्रधान के विरुद्ध जांच की जानी चाहिए अर्थात् की गयी किसी प्रारम्भिक जांच में प्रधान प्रथम दृष्टया वित्तीय और अन्य अनियमितताओं का दोषी पाया जाये, वहां ऐसा प्रधान वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन नहीं करेगा और जब तक कि वह अन्तिम जांच में आरोपों से मुक्त न हो जाय, ऐसी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का सम्पादन राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा इस निमित्त नियुक्त ग्राम पंचायत के तीन सदस्यों की एक समिति द्वारा किया जायेगा।
4. प्रारम्भिक जांच के आधार पर प्रथम दृष्टया औपचारिक जांच हेतु मामला बनने पर राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट एक आदेश द्वारा जांच करने के लिए प्रारम्भिक जांच करने वाले अधिकारी से भिन्न, किसी जिलास्तरीय अधिकारी को नामित करेगा।
5. शिकायत होने के दिनांक से 6 माह के अन्दर सम्पूर्ण जांच कार्यवाही पूर्ण कर रिपोर्ट राज्य सरकार/जिला मजिस्ट्रेट को प्रेषित कर दी जायेगी। यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रधान के विरुद्ध किसी अनियमितता पर शिकायत लोक सेवक द्वारा की जाये, तो उक्त बिन्दु (1) में दी गयी शपथ-पत्र आदि की व्यवस्था का अनुसरण करना आवश्यक नहीं होगा, परन्तु जांच संबंधी अन्य कार्यवाहियां नियमावली के संगत प्रावधानों के अनुसार की जाये।

3- यह भी अवगत कराना है कि संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947 (30प्र0 अधिनियम सं0-25 सन् 1947) की धारा-95 की उपधारा (1) के खण्ड (छ) के साथ पठित धारा-110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम प्रधानों या उप प्रधानों के विरुद्ध जांच हेतु 30प्र0 पंचायत राज (प्रधानों एवं सदस्यों का हटाया जाना) जांच नियमावली, 1997 बनायी गई है। उक्त नियमावली में ग्राम प्रधानों के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

विरुद्ध शिकायत की जांच आदि तथा पदों से हटाने आदि की कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जाती है।

4- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धारा-197 द0प्र0स0 के अधीन अभियोजन स्वीकृति के सम्बन्ध में कथित व्यक्ति लोक सेवक "है" या "था" दोनों शब्द वर्णित हैं। किसी ऐसे अपराध का अभियोग जिसके बारे में यह अभिकथित है कि वह उसके द्वारा तब किया गया था जब वह अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा था, के संबंध में अभियोजन स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। धारा-19 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत केवल यह आवश्यक है कि कथित अपराध जिसको किया जाना अभिकथित है, लोक सेवक द्वारा किया गया हो।

अतः उक्त के आलोक में ग्राम प्रधानों के दोषी पाए जाने पर उनके विरुद्ध न्यायालय में अभियोजन चलाए जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने के सम्बन्ध में अपने स्तर से नियमानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(महेन्द्र कुमार)
सचिव।

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. स्टाफ आफीसर, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
4. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0, लखनऊ।
5. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक (पं0) उ0प्र0।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उ0प्र0।
8. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जोगेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।